

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)

सतोष

बनाम

सोहन

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर

292/2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
<p>10/6/2022</p>	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>सतोष</u></p> <p>विवश्री <u>गोपीलाल श्री गुर्जर</u></p> <p>निवासी- <u>ओहड़ी</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>ओहड़ी</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>225, 226 मी. 227, 228 मी.</u></p> <p>कुल कीता <u>4</u> कुल रकबा <u>0.4400</u> है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>ओहड़ी</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>225, 226 मी. 227, 228 मी.</u></p> <p>कुल कीता <u>4</u> रकबा <u>0.4400</u> है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेंट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>500/-</u> रूपये अक्षरे <u>पत्रा खर्च</u> प्रार्थी से वसूल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">(सुन्दर बिश्नेई) प्रमुख कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)</p> 